राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गंगु उर्फ गंगुराम / नानगी

तारीख हुक्म	28/2008 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
17/3/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अधि. रेस्पो. ने आदेशिका दिनांक 24/2/20 एवम् 11/3/20 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि इस 225 RTAct की अपील से सम्बन्धित मूल वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया गया है, जिससे यह अपील अब सारहीन हो गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। जिस पर अधि. अपीलार्थी ने इस सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं होने एवम् पक्षकार से सम्पर्क नहीं हो पाने का कथन किया। इस हेतु अपीलार्थी पूर्व में भी कई अवसर ले चुके हैं एवम् अधि. रेस्पो. द्वारा दस्तावेजों की सूची के साथ प्रस्तुत मूल वाद की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस 225 RTAct से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, जिससे यह अपील अब सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर